



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली खेकडा दिनांक 22.03.2026

थाना कोतवाली खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0स0 87/26 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शोएब उर्फ मन्नू पुत्र सलीम निवासी मो० शेखपुरा करबा व थाना खेकडा जनपद बागपत उम्र करीब 19 वर्ष हाल पता इलियास नगर कांधला थाना कांधला जिला शामली ।

बरामदगी का विवरण:-

- एक अवैध चाकू ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री कपिल कुमार थाना खेकडा बागपत ।
- 2-है0का0 428 कपिल रावत थाना खेकडा बागपत ।
- 3-है0का0 634 योगेन्द्र थाना खेकडा बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली खेकडा दिनांक 22.03.2026

थाना कोतवाली खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमन्चा .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध तमन्चा .315 बोर बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0स0 86/26 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

पंकज पुत्र श्यामलाल निवासी काशीराम कॉलोनी नानू रोड कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत

बरामदगी का विवरण

- एक अवैध तमन्चा .315 बोर ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0सं0 1130/2018 धारा 395/397/412/427 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 2.मु0अ0सं0 1177/2018 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 3.मु0अ0सं0 0046/2015 धारा 307/323/504/506 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 4.मु0अ0सं0 0428/2018 धारा 147/148/149/323/325/506 थाना खेकडा बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 299 रामकुमार थाना खेकडा जनपद बागपत
- 3-है0का0 53 रविन्द्र कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनाँक 22.03.2026

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 64/2026 धारा
103(1)/109(1)/61(2) बीएनएस में वाँछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार,
जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल सुपर स्प्लेन्डर बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.03.26 को थाना दोघट पर वादिया ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.प्रिंस पुत्र देवेन्द्र 2.रजत पुत्र जितेन्द्र निवासी ग्राम बहावडी थाना शामली जनपद शामली द्वारा अभियुक्तों 3.लोकेन्द्र पुत्र नामालूम व 4.एक महिला निवासीगण ग्राम बहावडी थाना शामली जनपद शामली के कहने पर वादिया के पति विककी उर्फ विवेक की गोली मारकर हत्या कर दी व वादिया व अन्य परिजनों के ऊपर गोली चलाते हुए



वहाँ से भाग गए । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 64/2026 धारा 103(1)/109(1)/61(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

उपरोक्त अभियोग में फिल्ड यूनिट के द्वारा निरीक्षण घटनास्थल से बरामद घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमन्चा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की बढौत्तरी की गयी । विवेचना के दौरान अभियुक्तगण हर्ष पुत्र अरविन्द निवासी ग्राम वाजिदपुर कवाली थाना जानसठ जनपद मुजफ्फरनगर व तालियान पुत्र सुरेन्द्र पाल निवासी ग्राम छुर थाना सरधना जनपद मेरठ के नाम प्रकाश में आये ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 64/2026 धारा 103(1)/109(1)/61(2) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक मोटर साईकिल सुपर स्प्लेन्डर नं0 UP12-U-760 बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट उपरोक्त अभियोग में थाना दोघट पुलिस द्वारा पूर्व में 01 महिला अभियुक्ता सहित 02 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

तालियान पुत्र सुरेन्द्रपाल निवासी ग्राम छुर थाना सरधना जनपद मेरठ उम्र करीब 24वर्षा
बरामदगी

- घटना में प्रयुक्त एक मोटर साईकिल सुपर स्प्लेन्डर नं0 UP12-U-760

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.एसओ श्री केवल सिंह थाना दोघट जनपद बागपत
- 2.उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह थाना दोघट बागपत
- 3.उ0नि0 श्री सुखपाल सिंह थाना दोघट बागपत
- 4.है0का0 06 सुरेशचन्द थाना दोघट बागपत
- 5.है0का0 359 सुनील कुमार थाना दोघट बागपत